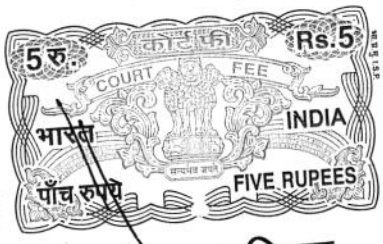

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2013 जिला– विदिशा

कमल सिंह पुत्र किशन सिंह
निवासी – सुनखेर तहसील लटेरी जिला विदिशा म.प्र. ..... आवेदक

विरूद्ध

मुन्नालाल पुत्र पन्नालाल धोवी
निवासी – सुनखेर तहसील लटेरी जिला विदिशा म.प्र. ..... अनावेदक

13.3.2013

R 1021 PBR/13

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – निग0 1021–पीबीआर/13 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8.7.15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार, लटेरी जिला विदिशा द्वारा प्रकरण कमांक 78/अ–12/11–12/निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29–9–12 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को निरस्त करते हुए अनावेदक द्वारा प्रसतुत सीमांकन के आवेदन सहित राजस्व निरीक्षक को आवेदित भूमि का सीमांकन किए जाने हेतु पत्र जारी करने के आदेश दिए हैं । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 2/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किए जाने का अनुरोध किया है । 3/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवकता द्वारा तर्क दिया गया है कि तहसीलदार ने सकारण आदेश पारित किया है । उन्होंने भूमि पंजीकृत विक्रयपत्र द्वारा क्रय की जाकर कब्जा प्राप्त किया है । 4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । यह प्रकरण सीमांकन के संबंध में है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षक को सीमांकन किए जाने के आदेश दिए गए । राजस्व निरीक्षक के मौके पर सीमांकन हेतु जाने पर आवेदक द्वारा आपत्ति	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	किए जाने पर सीमांकन नहीं किया गया और तत्संबंधी प्रतिवेदन पेश किया गया जिस पर से तहसीयलदार ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को उभयपक्ष को सुनने के उपरांत निरस्त किया है । तहसीलदार ने यह स्पष्ट किया है कि आपत्तिकर्ता (आवेदक) को दस्तावेज पेश करने हेतु कई अवसर दिए किंतु उसके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह पाया जाये कि आवेदित भूमि की बटान जो पूर्व से अंकित है, उसे किस कारण वे गलत बता रहे हैं । इस न्यायालय के समक्ष भी आवेदक अधिवक्ता यह नहीं बता पाए कि 30–40 वर्षो के बीच कभी भी उनके द्वारा बटान पर कोई आपत्ति क्यों नहीं की गई । ऐसी स्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की आपत्ति निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश वैधानिक रूप से सुसंगत है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । उभयपक्ष सूचित हों । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हों । सदस्य	